

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड Central Board of Secondary Education



संबंधता - Online School Affiliation & Monitoring System R-2.0

As per new Affiliation Bye-Laws

Grant with Condition Letter for-: SL-00861-2122

NO . CBSE/AFF/SL-00861-2122/2021-22/

Jated: 23/12/2020

The Manager, SETH ANANDRAM JAIPURIA SCHOOL TARNA VYAS BAGH, AIRPORT ROAD, HARAHUA 221105 VARANASI UTTAR PRADESH, VARANASI, 221105 (M: 9838077513)

Subject: General Affiliation up to Secondary Level-regarding.

Ref: Application No. SL-00861-2122 dated 29.02.2020.

With reference to your application on the subject cited above; I am directed to convey the sanction for General Affiliation as per details given below:

Affiliation No. used as User ID for both OASIS and LOC/Registration System			2133576	
School No.			71733	
Password for OASIS and LOC/Reg	istration Sys	sten	n is same as that used for Affiliation Application.	
Affiliated for		Se	nior Secondary School Examination Class 1 to 10	
Category			esh Affiliation	
Period of General affiliation			04.2021 to 31.03.2024	
Year and Month From which admission can be taken in Class-IX			pril, 2017	
Year and Month in which first batch of Class- X will appear in board examinations			rch, 2020	
SUBJECTS ALLOWED:				
Languages	NA			
Elective Subjects	NA			
The facilities reported at the university inspection:				
	111			

Seth Anandram Jaipuria School-Varanas Shuseta Principal

_				
1	Area of school campus	-	10370 (Square Meter)	
2	Built up area	-	3348.93 (Square Meter)	
3	Area of play ground	-	5000 (Square Meter)	
4	Composite Science Lab	1	760 (Square Feet)	
5	Mathematics Lab	1	508 (Square Feet)	
6	Computer Lab	1	1260 (Square Feet)	
7	Biology Lab	0	0 (Square Feet)	
8	Chemistry Lab	0	0 (Square Feet)	
9	Physics Lab	0	0 (Square Feet)	
10	Library rooms	1	1200 (Square Feet)	
11	Occupied Class Rooms	20	500 (Square Feet)	
12	Vacant Class Rooms	17	500 (Square Feet)	
13	Name of society running the school	SURYA CHARITABLE TRUST		
The	have another is subject to 6 MM and a 6 C Paris	Par		

The above sanction is subject to fulfillment of following conditions:-

- The school will follow the syllabus on the basis of curriculum prescribed by NCERT/CBSE for the Middle Classes. The school will follow syllabus and courses as per scheme of studies prescribed by the Board for Secondary/Sr. Secondary School Examination and changes made therein from time to time.
- The school should go through the provision of Affiliation and Examination Bye Laws and keep a copy there
 of for reference purpose and also advised to visit CBSE websites / , http://cbseacademic.nic.in/ &
 http://cbse.nic.in/ for updates. The School is expected to see all circulars on these CBSE websites at least once
 every week.
- The school shall submit their information through Online Affiliated School Information System (OASIS)
 as per details given in circular no. affiliation-06/2018 dated 24.04.2018. Link for OASIS is available on
 Board's website: www.cbse.nic.in. Please see point number 46 for OASIS credentials.
- The school will follow the RTE Act, 2009 and instructions issued thereon by the CBSE/Respective State /UT Govt. from time to time.

5. The school will enroll students proportionate to the facilities available in the school as prescribed in the Affiliation Bye-Laws of the Board which shall not in general exceed the optimum number as under :-

	Campus area	Enrolment	No. of Sections (pre-primary to X)	No. of Sections at Sr. Secondary (XI &XII)
a)	1.0 acre	1250	02 in each class	04 each in class XI and XII
b)	1.5 acre	1875	03 in each class	04 each in class XI and XII
c)	2.0 acre	2500	04 in each class	04 each in class XI and XII

School running on bigger campus of more than 02 acres, the number of students shall be restricted as per the actual facilities in the school which shall be proportionate to the optimum number mentioned at (a), (b) and (c) above.

Soth Anandram Jaipuria Sphool-Varange

Manager

Seth Anandram Jaipuria School-Varanas

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी।

सेवा में.

प्रबन्धक, सेठ आनन्दराम जैयपुरिया स्कूल तरना, वाराणसी।

पत्रांकः / मान्यता / २७४१-93

/2019-2020

दिनांक : 07 मार्च, 2020

विषय: निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 की धारा—18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2010 के नियम—15 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण—पत्र।

महोदय/महोदया.

आपके तारीख 25—05—2019 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं सेठ आनन्दराम जैयपुरिया स्कूल, तरना, वाराणसी को तारीख 01—04—2020 से तारीख 31—03—2021 तक एक वर्ष की अवधि तक के लिये कक्षा—6 से कक्षा—8 तक के लिये अनन्तिम अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है-

1— मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा—8 के पश्चात् मान्यता / संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विविक्षत नहीं है।

2— विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3— विद्यालय कक्षा—1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस—पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा—विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4— पैरा—3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा—12 की उप धारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक

खाता रखेगा।

5— सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6— विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा—15 के उपग्रंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित् करेगा:—

(i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फंल नहीं किया जायेगा या उस विद्यालय से निस्पातित नहीं किया जायेगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड का मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम—25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम् अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम् अर्हतायें नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम् अर्हतायें अर्जित करेगें।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा-24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तब्यों का पालन करता है और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगें।

7— विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

Seth Anandram Jaipuria School-Vardensi

()

	8-	विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये
		रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नांनुसार हैं—
	1	 विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल — 118925.52 वर्ग फीट
	1	कुल निर्मित क्षेत्र – 360475 वर्ग फीट
is.		क्रीड़ास्थल का क्षेत्रफल – पर्याप्त है।
	1	कक्षाओं की संख्या
	1	प्राध्यापक—सह कार्यालय—सह भण्डागार के लिये कक्षा — 01
		बालक और बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय – उपलब्ध है।
		पेयजल सुविधा - उपलब्ध है।
		मिड-डे-मील पकाने के लिये रसोई
		· बाधा रहित पहुँच
		अध्यापन पठन सामाग्री / क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता— है
	9-	विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके ब्राहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षायें
		नहीं चलायी जायेगी।
	10-	विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के
		प्रयोजना के लियं किया जाता है।
	11-	विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम-1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी
		सोसाइटी द्वारा तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा
	40	6
	12-	स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं
		पलाया जा रहा है।
	10	विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टड एकान्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण निवमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये।
		प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
	14-	आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक प्रमाण में उपलब्ध है। कृपया इसे नोट कर लें
		जार इस कायालय के सीथ किसी पत्रीचार के लिये इस संख्यांक का बल्लेख करें।
	15-	विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और संचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निर्देशक रिट्रिंग नेरिक
		शिक्षा अधिकारी द्वारी अपक्षित हो और समचित सरकार /स्थानीय पाधिकारी के गेर्च अनुनेकों का
		पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धा शतों के सतत अनुपालन को सनिष्टिच्य करने या विद्यालय के
	16	कावकरण का कान्या का दर करने के लिय जारा किये जारा।
	17-	सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित् किया जाय।
	11	विद्यालय प्रबन्धतंत्र द्वारा प्रस्तुत कोई अभिलेख त्रुटिपूर्ण, फर्जी एवं असत्य पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से निर्नत् नान्यता त्यक निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण विभिन्न उत्तरतागित्व विद्यालय प्रयन्यता
		का होगा।
		भवदीय
		गपदाय
79		(प्रधान सहायक)
		(राकश सिंह)
		जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
	TIONIO	वाराणसी।
	20110	प्रतिनिधिः निम्नविधित को सन्तर्भा पर्व अस्त्राम् प्रतिनिधि को।
	1-	प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। - मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), पंचम मण्डल, वाराणसी।
	2-	सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र वाराणसी।
		/ IMPORTAL VIOLENCE AND ALTERNATION AND ALTERN
		(राकेश सिंह)
Sath	Anan	
50111	Allall	V Joed V - · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		Seth Anandram Jaipuria School

Principa!

प्रेषक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी।

सेवा में,

प्रबन्धक, सेठ आनन्द राम जयपुरिया स्कूल तरना, वाराणसी।

पत्रांकः / मान्यता / 28065-67

/2019-2020

दिनांक : 2/1 मार्च, 2020

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 की धारा—18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2010 के नियम—15 के उप नियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण—पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 25—11—2019 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चालवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं सेंठ आनन्द राम जयपुरिया स्कूल, तरना, वाराणसी को तारीख 01—04—2020 से तारीख 31—03—2021 तक एक वर्ष की अवधि तक के लिये कक्षा—1 से कक्षा—5 तक के लिये अनन्तिम अंग्रेजी माध्यम से मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन है—

1— मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा—8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2— विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम—2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।

3— विद्यालय कक्षा—1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस—पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा—विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

4— पैरा—3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा—12 की उप धारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

5— सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके

माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।

6— विद्यालय किसी बालक को, 'उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा—15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित् करेगा :—

(i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में

फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड का मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

(iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम—25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार नि:शक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम् अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम् अर्हतायें नहीं हैं, पाँच वर्ष की अविध के भीतर ऐसी न्यूनतम् अर्हतायें अर्जित करेगें।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा-24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तब्यों का पालन करता है और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेगें।

7— विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

Seth Anandr im Jaipurial Chool-Varanasi

Manager

Seth Anand om Jaipuria School- Yaranas प्रियम्

)